



2/46/2020

तारीख रजु.....

प्रहलाद

बनाम

कैलादेवी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.2020	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी. ख0 नं0 539 वाके ग्राम अरूवा तहसील कठूमर के त्रिवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 28.07.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 28.07.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेशा हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) </p> <p> मुख्य नोटेरीयल ११०/१०० तारीख 02.06.2020 कार्यवाही दिनांक 11.06.2020 जो पेश हो। </p> <p> 19 1/2 साविक आदेश दिनांक 11.06.2020 की पालना में पत्रावली वास्ते 11.06.2020 दिनांक 2/3/20 को पेश हो। </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) </p>	

नम्बर व हुक्म का काम जें सामील	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30/8/22	<p>हुक्म करीफन एच. P.O. बाह्य सि. प्र. नं. 11/22 प्राबधी दिनांक 3/11/22 को पत्र हो।</p>	
3/11/22	<p>वकील 'अली' उपस्थित सार्वजनिक आदेश दिनांक को पत्र में पत्र नीयारी दिनांक 14/11/22 को पत्र हो।</p> <p>उपस्थित अधिकारी कठूमर (अलवर)</p>	
14/11/22	<p>पत्रावली में हुई वकील वकील 14/11/22 उपस्थित नाही आये उनके पत्र पत्र उनके आ: 2 काकाज दिलाई गई कोई उपस्थित नाही आया अतः जांच म. म. म. वकील वकील की अफस पैकी - अफस हाजरी में खाली जिमा जाता है पत्रावली में लाल हुक्म देकर नम्बर से कर दो वाद तस्वील दो वाद के प्राथमिकी से (सु-मा)</p> <p>उपस्थित अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०</p>	